इकाई 27 औद्योगिक वित्त संस्थान

इकाई की रूपरेखा

27.0 उद्देश्य

27.1 प्रस्तावना

27.2 विकासात्मक वित्तीय संस्थाएँ

- 27.2.1 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
- 27.2.2 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड
- 27.2.3 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड
- 27.2.4 भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आई आई बी आई)
- 27.2.5 एक्जिम बैंक
- 27.2.6 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
- 27.2.7 राज्य वित्त निगम
- 27.2.8 राज्य औद्योगिक विकास निगम

27.3 बैंक

- 27.3.1 वाणिज्यिक बैंक
- 27.3.2 यूनिवर्सल बैंक

27.4 अन्य वित्तीय संस्थाएँ

- 27.4.1 भारतीय जीवन बीमा निगम
- 27.4.2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट
- 27.4.3 साधारण बीमा निगम
- 27.4.4 अन्य वित्तीय संस्थाएँ

27.5 सारांश

27.6 शब्दावली

27.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

27.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

27.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- भारत में औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं की संरचना से परिचित हो पाएँगे;
- प्रत्येक वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, क्षेत्राधिकार और अधिदेश समझ पाएँगे; और
- उद्योगों के लिए इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न स्कीमों, लिखतों और वित्त के प्रकार के बारे में समझ पाएँगे।

27.1 प्रस्तावना

पिछली दो इकाइयों में हमने व्यापार और उद्योग के लिए वित्त के विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर चर्चा की। इस इकाई में हम वित्त उपलब्ध कराने वाले विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और संगठनों पर चर्चा करेंगे। इन संगठनों को मोटे तौर पर विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और अन्य वित्तीय

संस्थाओं में बाँटा जा सकता है। नीचे दिए गए चित्र 27.1 से भारत में प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की सामान्य संरचना का पता चलता है।

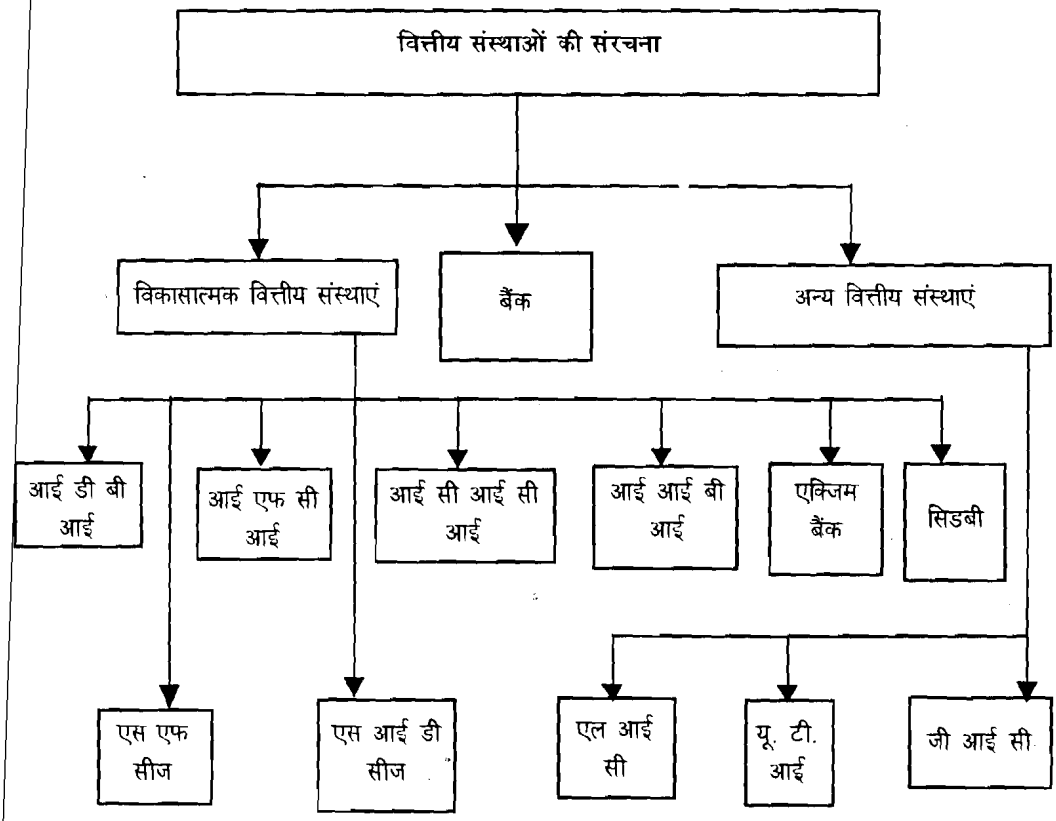

चित्र 27.1 : वित्तीय संस्थाओं की संरचना

जैसा कि चित्र 27.1 में देखा जा सकता है, सभी वित्तीय संस्थाओं को सामान्य रूप से विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में बाँटा जा सकता है। विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं में हमने आई डी बी आई, आई एफ सी आई, आई सी आई सी आई, आई आई बी आई, एक्जिम बैंक, सिडबी, एस एफ सी और एस आई डी सी को शामिल किया है। ये सभी संस्थाएँ मुख्य रूप से विकासात्मक वित्त अथवा परियोजना वित्त अथवा दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराती है। इन संस्थाओं का अधिदेश देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। बैंको की स्थापना का मूल उद्देश्य आम जनता से बचत जुटाना है। इस इकाई के परवर्त्ती भाग में अलग तालिका में बैंकिंग क्षेत्र की संरचना विस्तार में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की स्थापना भी जनता को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए की गई है। इस प्रक्रिया में वे भी भारी धनराशि जुटाते हैं और ये संगठन भी इन निधियों का विभिन्न रूपों में उद्योगों में निवेश करते है। यू टी आई की स्थापना परस्पर निधि (Mutual Fund) के तर्ज पर की गई थी और यह भी भारी धनराशि जुटाता है और उन्हें उद्योगों में निवेश करता है।

चित्र 27.1 में प्रस्तुत संस्थाओं में से कुछ मुख्यत: अल्पकालिक वित्त उपलब्ध कराती है और कुछ मुख्यत: दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराती है। इनमें से अधिकांश संगठन राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं और कुछ राज्य स्तर के संगठन हैं। इसके अलावा इनमें से अनेक संगठन बृहत् और मध्यम संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं और कुछ लघु उपक्रमों को सहायता उपलब्ध करा रहे है। इन संगठनों में से प्रत्येक वित्तपोषण की ठीक-ठीक प्रकृति के बारे में इस इकाई में बाद में चर्चा की गई है। इन वित्तीय संस्थाओं के प्रचालन के स्तर के बारे में जानकारी देने के लिए, नीचे तालिका-27.2 में वर्ष 1999-2001 के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता संबंधी आँकड़ा प्रस्तुत है।

तालिका 27.2 : अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित सहायता

(करोड़ रु. में)

स्वीकृतियाँ	अप्रैल -दिसम्बर		अप्रैल-मार्च	
	2000	2001	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5
स्वीकृतियाँ				
अखिल भारतीय विकासात्मक बैंक	**71,356.9**	**50,643.6**	**81,815.8**	**97,032.2**
1. आई डी बी आई	19,104.9	14,797.6	25,786.5	28,163.1
2. आई एफ सी आई	949.2	283.9	2,080.0	1,858.5
3. आई सी आई सी आई	44,908.5	29,815.5	43,522.8	56,092.0
4. सिडबी	4,938.3	4,911.2	8,088.4	8,972.7
5. आई आई बी आई	1,456.0	835.4	2,338.1	1,945.9
विशेषकृत वित्तीय संस्थाएँ	**253.6**	**114.5**	**246.4**	**339.3**
6. आई बी सी एफ *	1.8	2.0	8.1	3.8
7. आई सी आई सी आई वेंचर **	172.7	36.3	155.9	229.9
8. टी एफ सी आई	79.1	76.2	82.4	105.6
निवेश संस्थाएँ	**12,627.2**	**6,476.9**	**15,812.2**	**17,899.9**
9. एल आई सी	6,380.5	4,815.5	6,825.5	10,867.2
10. यू टी आई	5,479.7	733.8	6,845.0	5,972.3
11. जी आई सी @	767.0	927.6	2,141.7	1,060.4
योग	**84,237.7**	**57,235.0**	**97,874.4**	**1,15,271.4**
वितरण				
अखिल भारतीय विकासात्मक बैंक	**40,585.8**	**33,323.0**	**51,986.6**	**57,768.4**
1. आई डी बी आई	11,716.3	9,075.0	16,036.5	16,936.6
2. आई एफ सी आई	1,640.3	437.4	3,272.1	2,120.9
3. आई सी आई सी आई	23,405.1	20,397.6	25,835.7	31,964.6
4. सिडबी	2,813.4	2,701.9	5,402.7	5,190.4
5. आई आई बी आई	1,010.7	711.1	1,439.6	1,555.9

(करोड़ रु. में)

स्वीकृतियाँ	अप्रैल -दिसम्बर		अप्रैल-मार्च	
	2000	2001	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5
विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएँ	**216.1**	**121.8**	**259.8**	**253.6**
6. आई वी सी एफ *	2.3	3.1	11.9	3.3
7. आई सी आई सी आई **	165.5	45.8	136.2	189.6
8. टी एफ सी आई	48.3	72.9	111.7	60.7
निवेश संस्थाएँ	**9,084.8**	**8,000.0**	**12,764.0**	**12,693.5**
9. एल आई सी	4,992.9	6,093.4	5,634.3	7,095.0
10. यू टी आई	3,294.7	928.6	5,162.1	4,599.9
11. जी आई सी @	797.2	978.0	1,967.6	998.9
योग	**49,886.7**	**41,444.8**	**65,010.4**	**70,715.5**

*: आई वी सी एफ (तत्कालीन आर सी टी सी)

** : टी डी आई सी आई लिमिटेड का 8 अक्टूबर, 1998 से नया नाम 'आई सी आई सी आई वेंचर फंड्स मैनेजमेण्ट कंपनी लिमिटेड' रखा गया है।

@ : जी आई सी और इसकी अनुषंगी कंपनियाँ।

नोट : ये आँकड़े अन्तरिम हैं। अंतर-संस्थानिक प्रवाहों के लिए मासिक आँकड़ों का समायोजन नहीं किया गया है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक समाचार, मार्च 2002।

ऊपर तालिका 27.2 सभी वित्तीय संस्थाओं, जो औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराते हैं के वित्तपोषण की सामान्य प्रवृत्ति और विस्तार दर्शाते हैं।

27.2 विकासात्मक वित्तीय संस्थाएँ

इस भाग में जिन 8 विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं पर चर्चा की गई है उसमें से आई डी बी आई, आई एफ सी आई, आई सी आई सी आई, और आई आई बी आई मध्यकालिक और दीर्घकालिक आधार पर सभी प्रकार के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। एक्जिम बैंक मुख्यत: नियति और आयात व्यापार तथा इससे संबंधित इकाइयों को वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। सिडबी का संवर्द्धन मुख्यत: लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया। एस एफ सी और एस आई डी सी राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास संस्थाएँ हैं जिनका संवर्धन राज्य स्तर की जरुरतों को पूरा करने के लिए किया गया है।

27.2.1 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)

आई डी बी आई की स्थापना 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। किसी भी अन्य विकासात्मक औद्योगिक संस्था की भाँति आई डी बी आई भी उद्योग को अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए सावधि वित्त उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, आई डी बी आई को अन्य विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने हेतु मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी सौंपा था। वर्ष 1994 में आई डी बी आई अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके द्वारा इसमें सार्वजनिक स्वामित्व की अनुमति दी गई। आई डी बी आई द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कुछ उत्पाद और सेवाएँ निम्नवत् है :

- उपकरण वित्तपोषण
- परिसंपत्ति ऋण
- कार्यशील पूँजी ऋण
- कारपोरेट ऋण
- फिल्म वित्तपोषण
- डायरेक्ट डिस्काउंटिंग
- उपकरण पट्टा
- उद्यम पूँजी निधि
- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम
- पुनर्वित्त
- परियोजना वित्तपोषण
- हुंडी भुनाना
- पुनर्स्थापना वित्तपोषण
- विदेशी/मुद्रा सेवाएँ
- डिबेंचर ट्रस्टीशिप
- मर्चेण्ट बैंकिंग

वर्ष 2000-01 में आई डी बी आई द्वारा स्वीकृत और वितरित कुल सहायता क्रमशः 2,87,111 मिलियन रु. और 1,74,983 मिलियन रु. है। 31मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार आई डी बी आई का कुल बकाया ऋण 5,64,193 मिलियन रु. है वर्ष 1999-2000 में कुल स्वीकृतियों में सबसे अधिक हिस्सा आता है। इसके बाद वस्त्र और रसायनों का स्थान आता है। आई डी बी आई का वर्ष 1999-2000 में नई परियोजनाओं को सहायता 115673.2 रु. था जो उस वर्ष की कुल सहायता का लगभग 44 प्रतिशत है।

27.2.2 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (IFCI)

आई एफ सी आई की स्थापना 1 जुलाई, 1948 को सांविधिक निगम के रूप में हुई थी जिसे मध्यम और बृहत् उद्योगों को औद्योगिक ऋण उपलब्ध कराना था। वर्ष 1993 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गया। आई एफ सी आई भारत की पहली विकास वित्तीय संस्था थी। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की भाँति आई एफ सी आई का प्रबन्धन भी निदेशक मंडल के हाथ में हैं। आई एफ सी आई द्वारा चलाए जा रहे कार्यकलापों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है।

क) परियोजना वित्तपोषण

ख) वित्त सेवाएँ

ग) समग्र कारपोरेट परामर्शदात्री स्कीम

आई एफ सी आई की उपर्युक्त तीन कार्यकलापों में से परियोजना वित्त पोषण सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापार है। आई एफ सी आई नई परियोजनाओं स्थापना, विस्तार/विविधिकरण और विद्यमान उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। आई एफ सी आई उद्योगों को रुपए के रूप में ऋण, विदेशी मुद्रा और हामीदारी (Underwriting) अथवा शेयरों और डिबेंचरों में सीधे अभिदान करके और आस्थगित भुगतानों तथा विदेशी ऋणों के लिए गारंटी करके वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आई एफ सी आई में वर्ष 2000-2001 के दौरान 68 परियोजनाओं के लिए 18,585 मिलियन रु. की कुल शुद्ध सहायता स्वीकृत की। वर्ष 2000-2001 दौरान कुल वितरण 21,210 मिलियन रु. रहा। निम्नलिखित तालिका 27.3 वर्ष 2000-2001 और 1999-2000 के दौरान स्कीमवार स्वीकृतियों और 1948 से 2001 तक संचयी स्वीकृतियाँ और वितरण को दर्शाता है।

तालिका 27.2 : आई एफ सी आई लिमिटेड द्वारा स्कीमवार स्वीकृतियाँ और वितरण

(मिलियन रु. में)

	2000 -2001 (अप्रैल-मार्च)		**1999 -2000 (अप्रैल-मार्च)**		**संचयी 1948-(जुलाई 1948 से 2001-मार्च 2001)**	
	स्वीकृतियाँ	**वितरण**	**स्वीकृतियाँ**	**वितरण**	**स्वीकृतियाँ**	**वितरण**
रुपए में ऋण	**12,072.7**	**10,880.0**	14,862.0	19,552.0	287,621.1	272,303.6
विदेशी मुद्रा ऋण	**1,457.3**	**1,386.3**	—	2,568.0	58,543.0	57,166.9
हामिदारी/प्रत्यक्ष						
अभिदान	**3,899.1**	**3,532.4**	4,732.2	4,077.3	39,412.3	35,915.4
गारंटी	**1,155.5**	**4,818.0**	1,206.0	5,257.5	36,997.8	35,732.1
उपकरण लीजिंग	—	**592.8**	—	1,266.1	11,554.1	10,180.4
योग	**18,584.6**	**21,209.5**	**20,800.2**	**32,720.9**	**434,128.3**	**411,298.4**

स्रोत : आई एफ सी आई वेबसाइट

वर्ष 2000-01 के दौरान आई एफ सी आई की स्वीकृतियों में लौह और इस्पात क्षेत्र का अधिकतम हिस्सा 7,114.88 मिलियन रु. था। लौह और इस्पात क्षेत्र के बाद पेट्रोलियम-तेलशोधन क्षेत्र का स्थान है जिसके लिए 1665.50 रु. मिलियन रु. स्वीकृत किए गए थे।

27.2.3 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड (ICICI)

आई सी आई सी आई लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार, विश्व बैंक और निजी उद्योग के प्रतिनिधियों के तत्वावधान में 5 जनवरी, 1955 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। स्थापना के समय आई सी आई सी आई लिमिटेड का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना और भारत में औद्योगिक विकास तथा निवेश में सहायता करना था। अब, आई सी आई सी आई लिमिटेड में अपने उत्पाद और सेवा पोर्टफोलियो का विस्तार किया है तथा यह संपूर्ण बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएँ, सिन्डिकेशन सेवाएँ, राजकोष आधारित वित्तीय समाधान, नकदी प्रवाह आधारित वित्तीय उत्पादों, लीज वित्त पोषण, इक्विटी वित्तपोषण, जोखिम प्रबन्धन विधाएँ और परामर्शदायी सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, आई सी आई सी आई विलयों और अधिग्रहणों के लिए भी निधियाँ उपलब्ध कराती है। मार्च 2000 तक आई सी आई सी आई की कुल स्वीकृतियाँ और वितरण क्रमश: 19,14,573 मिलियन रु. और 11,41,987 मिलियन रु. था। मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार बकाया सहायता 5,49,659 मिलियन रु. था। यह कारपोरेशन आई सी आई सी आई बैंक के साथ विलय करके स्वयं को यूनिवर्सल बैंक में परिणत करने की प्रक्रिया में है। न्यायालयों और भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन पहले ही प्राप्त किए जा चुके थे। विलय के पश्चात् अस्तित्व में आनेवाली सत्ता अपनी परिसम्पत्तियों की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरे क्रम पर होगी।

27.2.4 भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आई आई बी आई)

भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आई आई बी आई) की स्थापना मार्च 1997 में कंपनी अधिनियम, 1956, के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में की गई थी। तत्कालीन भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ही बदल कर आई आई बी आई बना था। आई आई बी आई एक कंपनी है जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, आई आई बी आई की प्रदत्त पूँजी 467.28 करोड़ रु. थी जिसमें से 72.75 करोड़ रु. इक्विटी था और शेष अधिमान शेयर था। आई आई बी आई के कुछ प्रमुख कृत्य निम्नलिखित हैं:

क) अल्प, मध्य और दीर्घकालिक ऋणों, माँग ऋणों, कार्यशील पूँजी सुविधाएँ, इक्विटी भागीदारी, परिसम्पत्ति ऋण, उपकरण वित्तपोषण के रूप में वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

ख) शेयरों, डिबेंचरों, बॉण्डों जैसे पूँजी बाज़ार लिखतों और मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश करना।

ग) हामीदारी और गारंटी प्रदान करना।

घ) लीजिंग और किराया खरीद उपलब्ध कराना।

ङ) परामर्श और मर्चेण्ट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना।

आई आई बी आई नई/आधारभूत परियोजनाओं, विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधिकरण के लिए विद्यमान कंपनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

27.2.5 एक्ज़िम बैंक

भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की स्थापना भारत में विदेश व्यापार के वित्त पोषण, इसे सुगम बनाने और इसके संवर्धन के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1981 में की गई थी। यह भारत में निर्यात और आयात के वित्तपोषण में संलग्न संस्थाओं के कार्यकरण में भी समन्वय

करता है। इसका मुख्यालय मुम्बई में है और भारत में तथा विदेश में इसके 13 कार्यालय हैं। बैंक के प्रचालन को मोटे तौर पर निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता है :

क) निर्यात ऋण उपलब्ध कराना,

ख) निर्यात क्षमता का सृजन करना,

ग) निर्यात सेवाएँ, और

घ) अनुसंधान और विकास।

इन कार्यकलापों में (क) और (ख) श्रेणियां अधिक प्रत्यक्षतौर पर परियोजनाओं के वित्त पोषण से संबंधित हैं। बैंक भारतीय मशीनों, विनिर्मित वस्तुओं, परामर्श और प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात के लिए आस्थगित भुगतान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है। यह भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए विदेशी एजेन्सियों जैसे सरकारों केन्द्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंको इत्यादि को ऋण सुविधाएँ/क्रेता की साख-उधार के माध्यम से भी सहायता प्रदान करता है।

बैंक निर्यात चक्र के विभिन्न चरणों, जिसमें निर्यात उत्पादन, निर्यात उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी आयात, विदेशों में निवेश, पोतलदानोंत्तर, पोतलदानपूर्व और निर्यात विपणन सम्मिलित है, पर प्रतिस्पर्धी वित्त भी उपलब्ध कराता है।

यह बैंक ग्लोबल और क्षेत्रीय विकास एजेन्सियों के साथ भारतीय निर्यातकों को ऐसी विदेशी परियोजनाओं में भागीदारी के प्रयासों में सहायता के लिए सह-वित्तपोषण करती है।

यह बैंक विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों में निवेश के बहिर्वाह और भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह के माध्यम से दोहरे प्रौद्योगिकी अंतरण के संवर्धन में संलिप्त है। एक्जिम बैंक यूरोपियन यूनियन के साथ साझीदार संस्था भी है और यूरोपियन यूनियन के मध्यम आकार के फर्मों के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग के माध्यम से भारत में संयुक्त उद्यमों के संवर्धन को सुगम बनाने के लिए कार्यशील रहता है।

27.2.6 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

लघु क्षेत्र में उद्योगों के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के क्रम में 2 अप्रैल, 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। यह सदृश कार्यकलापों में संलग्न अन्य संस्थाओं के कृत्यों को भी समन्वित करता है। सिडबी के कार्यक्षेत्र में लघुक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ सम्मिलित हैं, जो उत्पादन, रोजगार और निर्यात की दृष्टि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण रूप से योगदान करती है। इसके अतिरिक्त, सिडबी की सहायता परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को भी मिलती है। सिडबी उन पेशेवर व्यक्तियों तथा स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों को भी सहायता प्रदान करती है जो अपना लघु व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।

सिडबी प्रत्यक्ष वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से और अप्रत्यक्ष सहायता तंत्र के माध्यम से लघु क्षेत्र के उद्योगों का वित्तपोषण करता है। सिडबी द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ उत्पाद और सेवाएँ निम्नलिखित है :

- प्रत्यक्ष वित्तपोषण स्कीम
- हुंडी वित्तपोषण स्कीम
- पुनर्वित्त स्कीम

- आंतरिक वित्तपोषण स्कीम
- विपणन वित्तपोषण और विकास स्कीम
- माइक्रो केडिट के लिए सिडबी फाउंडेशन
- संवर्धनात्मक और विकास कार्यकलाप
- सावधि जमा स्कीम

27.2.7 राज्य वित्त निगम (एस एफ सी)

राज्य वित्त निगम राज्य स्तरीय संस्थाएँ हैं जो प्रादेशिक विकास बैंक की भाँति कार्यरत है। ये निगम संबंधित राज्यों में लघु और मध्यम उपक्रमों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। देश में 18 एस एफ सी हैं और इनमें से अधिकांश की स्थापना एस एफ सी अधिनियम, 1951 के अंतर्गत हुई है।

इन उपक्रमों को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास करना, निवेश को उत्प्रेरित करना, रोजगार का सृजन करना और उद्योग के स्वामित्व आधार को व्यापक बनाना है। एस एफ सी सावधि ऋण, इक्विटी/डिबेंचर में प्रत्यक्ष अभिदान, गारंटी, विनिमय हुंडियों की बट्टा और प्रारंभिक/विशेष पूँजी के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। एस एफ सी, आई डी बी आई/सिडबी की ओर से भी अनेक पुनर्वित्त स्कीम और इक्विटी सहायता स्कीम चलाते हैं। एस एफ सी नए प्रकार के व्यापारों जैसे पुष्पकृषि, मुर्गीपालन, वाणिज्यिक परिसरों और सेवाओं के लिए भी सहायता उपलब्ध कराता है।

नीचे दी गई तालिका 27.4 में वर्ष 1997-2000 के दौरान स्वीकृत उद्देश्यवार सहायता और मार्च 2000 तक सभी एस एफ सी द्वारा स्वीकृत संचयी सहायता दर्शाता है।

तालिका 27.3 : सभी एस एफ सी द्वारा स्वीकृत उद्देश्य-वार सहायता

मिलियन रुपए में

उद्देश्य	1997-98	1998-99	1999-2000	मार्च 2000 के अंत तक संचयी
नया	18408.0	13460.0	16111.4	235592.3
विस्तार / विविधिकरण	3915.0	2735.2	2813.9	61935.9
आधुनिकीकरण/संतोलनउपकरण	185.0	238.9	244.2	3283.6
पुनर्वास	108.0	41.6	23.4	1743.2
अन्य	3645.0	2166.1	2842.0	20727.1
योग	**26261.0**	**18641.8**	**22034.9**	**323282.1**

स्रोत : भारत में डेवलपमेंट बैंकिंग संबंधी आई डी बी आई प्रतिवेदन 2000-01।

27.2.8 राज्य औद्योगिक विकास निगम (एस आई डी सी)

भारत में 28 राज्य औद्योगिक विकास निगम हैं। एस आई डी सी की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956, के अंतर्गत संबंधित राज्यों में मध्यम और बृहत् उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकारों के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में की गयी है। इन निगमों में से कुछ एस एफ सी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ये निगम औद्योगिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और निवेश को प्रोत्साहन देते हैं। एस आई डी सी रुपया हामीदारी शेयरों/डिबेंचरों में प्रत्यक्ष निवेश, गारंटी, अन्तर कारपोरेट जमा के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये निगम अपने उधारकर्त्ताओं की ओर से अप्रलेखी साख पत्र भी जारी करते हैं। एस आई डी सी निजी उद्यमियों के सहयोग से संयुक्त उद्यम में अथवा पूर्ण स्वामित्व में अनुषंगी के रूप में मध्यम अथवा बृहत् औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में भी संलग्न हैं। कुछ एस आई डी सी भारी निवेश और अत्यधिक रोजगार संभावनाओं वाली अनेक बृहत् परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं। अनेक एस आई डी सी अपने कार्यकलापों के विविधिकरण का प्रयास कर रही है ताकि वे कार्यकलापों में सेवाओं और योजनाओं की व्यापार शृंखला सम्मिलित कर सकें और इसलिए उन्होंने उपकरण लीजिंग, मर्चेण्ट बैंकिंग, उद्यम पूँजी और परस्पर निधियों के क्षेत्रों में प्रवेश किया है। एस आई डी सी द्वारा मार्च 2000 तक विभिन्न उद्योगों को 2,07,940 मिलियन रुपए की कुल सहायता स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान ही एस आई डी सी ने विभिन्न उद्योगों को सहायता के रूप में 16,482 मिलियन रु. स्वीकृत किया है।

बोध प्रश्न 1

1) एक्जिम बैंक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है :

   क) निर्यात व्यापार के लिए।

   ख) पुनर्वास के लिए।

   ग) लघु क्षेत्र के लिए।

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

2) निम्नलिखित में से कौन-सी वित्तीय संस्थाएँ पुनर्वास स्कीम चलाती हैं :

   क) आई डी बी आई

   ख) एक्जिम बैंक

   ग) सिडबी

   घ) आई सी आई सी आई

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

27.3 बैंक

बैंक सर्वाधिक दृश्यमान और आम जनता द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वित्तीय संस्था हैं। बैंक का मुख्य उद्देश्य जनता से निधियाँ एकत्र करना है और उन निधियों का पुन: लाभप्रद तरीके से निवेश करना है।

भारत में बैंकों के मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है : अनुसूचित बैंक और गैर-अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इन अनुसूचित बैंकों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक सम्मिलित हैं। भारत में 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार 100 वाणिज्यिक बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 51 शहरी सहकारी बैंक और 16 राज्य सहकारी बैंक कार्यरत थे। नीचे दिए गए चित्र 27.2 में भारत में बैंकिंग क्षेत्र की विस्तृत, संरचना प्रस्तुत है।

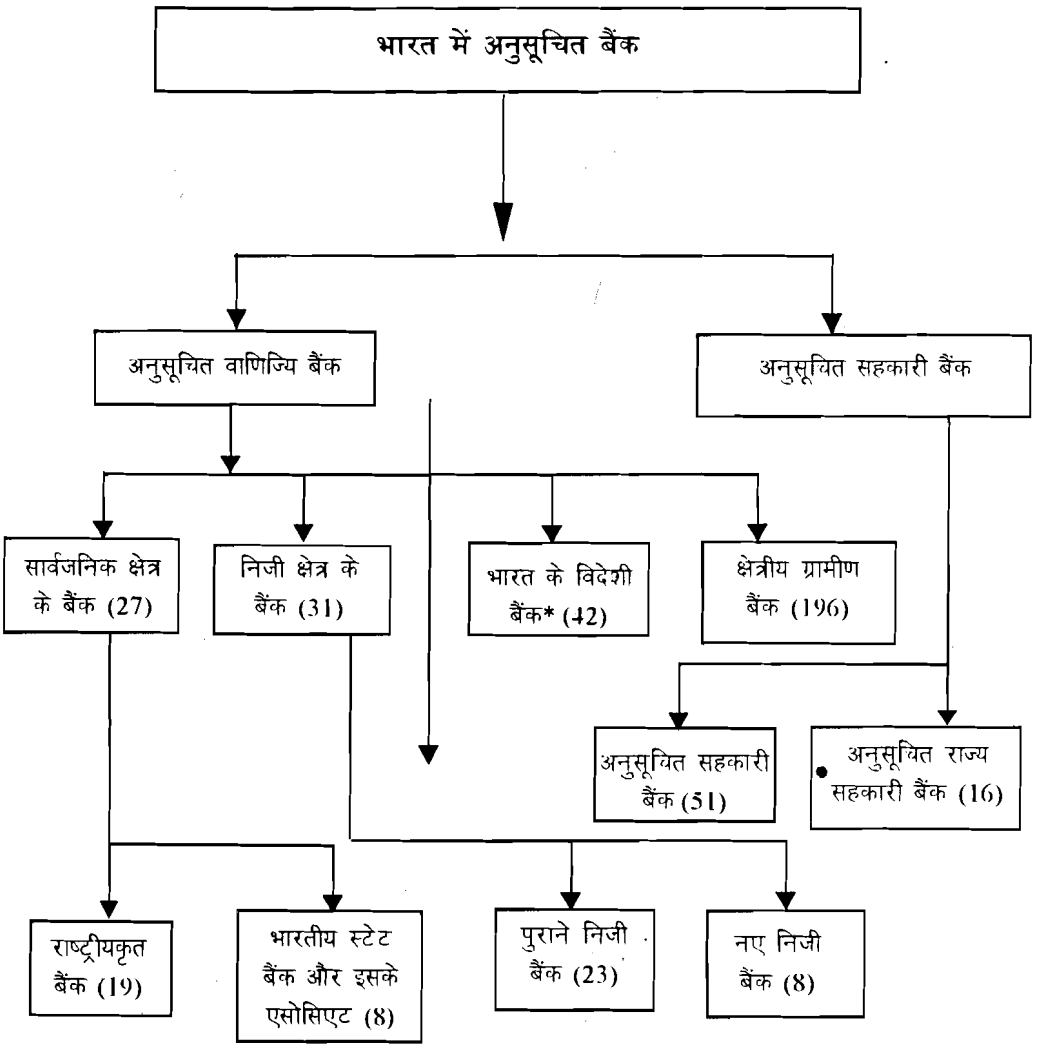

चित्र 27.2 : भारत में अनुसूचित बैंकिग संरचना @ (31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार)

@ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में यथा सम्मिलित।

* सकुरा बैंक लिमिटेड का 1 अप्रैल 2001 को सुमितोमो बैंक लिमिटेड में विलय हो गया।

नोट : कोष्ठक में दी गई संख्या प्रत्येक समूह में बैंक की संख्या इंगित करता है।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिवेदन।

27.3.1 वाणिज्यिक बैंक

भारत में 31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार 296 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (ओ सी बी) हैं इसमें भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके अनुषंगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदेशी बैंक सम्मिलित हैं। पूरे भारत में इन बैंकों की 65,340 शाखाएँ हैं जो बैंकिंग प्रचालनों में सम्मिलित है। ये बैंक लघु, मध्यम और बृहत् क्षेत्र के उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। इन उद्योगों में सभी प्रकार के उद्योग जैसे वस्त्र, रसायन, इजीनियरिंग इत्यादि सम्मिलित हैं और ये भारत के सभी राज्यों में फैले हुए हैं।

निम्नलिखित तालिका और गैर एस-एल-आर प्रतिभूतियों में निवेश का स्वरूप दर्शाता है। इन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए निवेश में से अधिकांश बॉण्ड/डिबेंचरों/अधिमान शेयरों इत्यादि जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की नियत आय प्रतिभूतियों में थे। इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से तालिका 27.4 में देखा जा सकता है।

तालिका 27.4 : गैर वित्तीय वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा जारी गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश

(करोड़ रुपए में)

की स्थिति को बकाया	**मार्च 27 1998**	**मार्च 26 1999**	**मार्च 24 2000**	**मार्च 23 2001**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. वाणिज्यिक पत्र	2,443	4,006	5,037	6,984
2. बॉण्ड/डिबेंचर/अधिमान	28,545	42,026	52,607	65,460
(क) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पी एस यू)	18,767	24,169	30,620	38,453
(ख) निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा जारी शेयर	9,778	17,857	22,988	27,006
3. इक्विटी शेयर *	1,472	2,343	2,834	3,171
योग	**32,460**	**48,375**	**61,478**	**75,615**
ज्ञापन मद :				
शेयर के बदले कारपोरेट को ऋण	44	64	20	15

* पी एस यू और निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा जारी।

नोट्स :1) घटक आँकड़ों को पूर्णांकन के कारण योग में नहीं जोड़ा जाए।
2) एस सी बी से प्राप्त विशेष पाक्षिक विवरणों पर आधारित आँकड़ा।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2001 संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिवेदन।

इसके अलावा लघु, मध्यम और बृहत् उद्योगों में भारी धनराशि निवेश की गई हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रदान करने की अपेक्षाओं अंतर्गत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों में निवेश किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बैंक आवासन और पर्यटन क्षेत्र में भी निवेश कर रही है।

27.3.2 यूनिवर्सल बैंक

यूनिवर्सल बैंकिंग एक नई अवधारणा है, जो भारत में 90 के दशक में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के फलस्वरूप विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामना की गई समस्याओं के परिणामस्वरूप आई। ये बैंक विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों दोनों के रूप में कार्य निष्पादन कर रहीं है। इन बैंकों द्वारा चलाए जा रहे कार्यकलाप इस प्रकार हैं: निवेश बैंकिंग, बीमा, बंधक वित्तपोषण, प्रतिभूतिकरण, इत्यादि। इसके अलावा ये सामान्य वाणिज्यिक बैंक कृत्यों का भी निर्वहन करते हैं।

भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा नरसिम्हन समिति प्रतिवेदन (1998) के सुझाव के साथ शुरू हुई कि विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं को बैंक अथवा गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों में, परिणत करना पड़ेगा। इसकी पुनः खान कृतिक दल (1998) द्वारा पुष्टि की गई। अंततः भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2001 में एक परिपत्र जारी किया है, जिसके द्वारा विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तन की प्रचालनात्मक और विनियामक पहलू का निर्धारण किया। इसने भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग का मार्ग प्रशस्त किया। आई सी आई सी आई जो विकासात्मक वित्तीय संस्था है ने आई सी आई सी आई बैंक में विलय के द्वारा यूनिवर्सल बैंक बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने आई सी आई सी आई लिमिटेड की आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड के साथ विलय को स्वीकृति दे दी है। आई डी बी आई जैसी कुछ और विकासात्मक वित्तीय संस्थाएँ भी देर-सवेर आई सी आई सी आई के अनुरूप अपने को परिणत करने वाली हैं। आई सी आई सी आई के आई सी आई सी आई बैंक के साथ स्वयं के विलय द्वारा यूनिवर्सल बैंक में परिणत होने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं :

क) कम लागत वाली खुदरा जमा आधार तक पहुँचने की आवश्यकता।

ख) अपने अशोध्य ऋणों को बट्टा खाता में डालने के लिए पूँजी जुटाना।

ग) कारपोरेशनों और बृहत् परियोजनाओं से दीर्घकालिक ऋण माँग में आनेवाली कमी की क्षतिपूर्ति करना।

घ) कम लाभप्रदता वाली परिसम्पत्तियों के स्तर को कम करना।

ङ) फीस आधारित सेवाओं के लिए संभावनाओं का दोहन करके लाभ को बढ़ाना।

27.4 अन्य वित्तीय संस्थाएँ

एल आई सी, यू टी आई, जी आई सी इत्यादि जैसी कुछ वित्तीय संस्थाएँ भी है जो विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के साथ बड़े पैमाने पर औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराती है। यद्यपि कि उनका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक वित्तपोषण नहीं है, वे जनता से उगाही गई निधियों का निवेश सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की परियोजनाओं में करते हैं। इस इकाई के इस भाग में, हम इस तरह की तीन संस्थाओं एल आई सी, यू टी आई और जी आई सी का अध्ययन करेंगे।

27.4.1 भारतीय जीवन बीमा निगम

भारत में जीवन बीमा का कारोबार वर्ष 1956 में इसके राष्ट्रीयकरण और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना होने तक मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के हाथ में था। वर्ष 1955 में, लगभग 170 बीमा कार्यालयों और 80 भविष्य निधि समितियों का पंजीकरण जीवन बीमा कारोबार करने के लिए कराया गया था।

भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितम्बर, 1956 को अस्तित्व में आया। इस निगम का मूल उद्देश्य जनता और उसके परिवार के जोखिम को न्यूनतम करने के क्रम में जीवन बीमा में निवेश करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करना है। इस प्रक्रिया में एल आई सी अपार निधियाँ एकत्र करती है। जिसे वह समाजोन्मुखी परियोजनाओं जैसे सार्वजनिक परिवहन, विद्युत, आवास, जलप्रदाय इत्यादि में निवेश करती है। 31 मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार एल आई सी के कुल निवेश का 84.49 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में, 1.84 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में और 13.67 प्रतिशत निजी क्षेत्र में लगा हुआ था।

निगम देश में औद्योगिक विकास को बल प्रदान करने में सहायता करती है। यह सहकारी औद्योगिक सम्पदाओं और औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना के लिए ऋण स्वीकृत करके लघु और मध्यम उद्योगों की सहायता करती है। निगम राज्य वित्त निगमों, आई डी बी आई, आई एफ सी आई, आई सी आई सी आई इत्यादि द्वारा जारी बॉण्डों और डिबेंचरों में अभिदान करके इन संस्थाओं को सहायता पहुंचाती है। निगम कारपोरेट क्षेत्र में कंपनियों/निगमों को दीर्घ, मध्य और अल्पकालिक ऋण के रूप में प्रत्यक्ष निवेश भी करती है। नीचे दी गई तालिका 27.5 इन वर्षों में एल आई सी द्वारा किए गए निवेश की मुख्य विशेषताओं को दर्शाते हैं :

तालिका 27.5 : एल आई सी के निवेश – कुछ विशेषताएँ

(करोड़ रु. में)

निवेश का प्रकार	तक निवेश							
	31.12.57	**31.3.67**	**31.3.77**	**31.3.87**	**31.3.96**	**31.3.97**	**31.3.98**	**31.3.99**
केन्द्र सरकार	185	335	981	4675	29395	37330	45876	56185
राज्य सरकार और अन्य सरकारों की गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ	70	263	715	1683	7545	8906	10471	12928
विद्युत	—	61	733	2603	7580	8214	9153	10591
आवास	—	121	618	1872	8731	10967	12242	14207
जलापूर्ति और मलव्ययन	—	16	203	718	1881	2028	2264	2508
राज्य पथ परिवहन निगम				180	477	540	551	671
औद्योगिक सम्पदाओं को ऋण	—	1	9	37	45	45	45	45
चीनी सहकारी समितियों का ऋण	—	2	22	37	37	37	37	37
विकास प्राधिकरण-नागालैंड				1	1	1	1	1
रोडवेज	—	—	—	—	—	—	25	25
विद्युत उत्पादन (निजी क्षेत्र)	—	—	—	—	—	—	276	801
नगरपालिका	—	—	—	—	—	—	4	4
कारपोरेट क्षेत्र								
अधिमान शेयर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	16	15	18	21

इक्विटी शेयर	" "	" "	" "	" "	4114	4740	5851	8315
डिबेंचर	" "	" "	" "	" "	5200	7086	9303	11907
सावधिऋण	" "	" "	" "	" "	2782*	3004*	3309*	2965
अल्पकालिक ऋण	" "	" "	" "	" "	336	457	234	178
मध्यकालिक ऋण	" "	" "	" "	" "	—	—	—	—
वाणिज्यिक पत्र	—	–	—	—	—	—	—	365
योग	**255**	**799**	**3281**	**11806**	**68140**	**83370**	**99660**	**121754**

नोट : (1 और 2) बुक वैल्यू पर तथा मद (3 और 4) सकल निवेश पर दर्शाया गया है।

31.3.99 की स्थिति के अनुसार, समाजोन्मुखी निवेश का बुक वैल्यू 88.331 करोड़ रु. और कारपोरेट क्षेत्र तथा अन्य निवेशों सहित कुल निवेशों का बुक वैल्यू 1,20,446 करोड़ रु. है।

उपर्युक्त सभी मद बुक वैल्यु पर दर्शाए गए हैं।

* इसमें आवासन के अंतरित 175 एच डी एफ सी ऋण सम्मिलित नहीं है।

स्रोत :एल आई सी की वेबसाईट

उपर्युक्त तालिका 27.5 में यह देखा जा सकता है कि एल आई सी केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की प्रतिभूतियों तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं में अपार राशि निवेश करती रही है। जहाँ तक उद्योगों के वित्त पोषण का संबंध है कारपोरेशन मुख्य रूप में डिबेंचरों और इक्विटी शेयरों में निवेश करता है।

एल आई सी की निधियों के मुख्य स्रोत हैं : (1) प्रीमियम आय और (2) निवेशों से आय।

27.4.2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ा परस्पर निधि संगठन है। इसकी 85 स्कीमों में 41.80 मिलियन निवेशक हैं। यू टी आई की स्थापना 1964 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। यू टी आई की स्थापना 'यूनिटों' की बिक्री के माध्यम से लघु निवेशकों के बचतों को प्रोत्साहित करना और जुटाना है तथा इन निधियों को कारपोरेट निवेशों की ओर उन्मुख करना है। यू टी आई ने सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र में लगभग 19000 भारतीय कंपनियों की इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में अपनी निधियों का निवेश किया है। यह सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाज़ार लिखतों में भी बड़े पैमाने पर निवेश करती है।

जून 2000 के अंत में यू टी आई की कुल निवेश योग्य निधियाँ 7,42,910 मिलियन रु. थीं। इन निधियों में से लगभग 90 प्रतिशत इक्विटी, डिबेंचरों/बॉण्डों के रूप में कारपोरेट क्षेत्र में, सरकारी प्रतिभूतियों में, बैंकों में जमा और अन्य निवेशों तथा सावधि ऋणों में निवेश की गई हैं। नीचे दी गई तालिका 27.6 उद्योगों को यू टी आई द्वारा स्वीकृत घटकवार सहायता दर्शाती है।

तालिका 27.6 : कारपोरेट क्षेत्र को स्वीकृत घटकवार सहायता

(मिलियन रु. में)

सहायता का प्रकार	1997-98	1998-99	1999-2000	मार्च 2000 के अंत तक संचयी
रुपया ऋण	—	—	—	112536.0
प्रत्यक्ष अभिदान				
(1) इक्विटी/अधिमान	2283.4	1850.4	10250.5	26098.9
(2) डिबेंचर	42328.6	36537.2	56946.6	87807.1
विशेष जमा	—	5.0	75.0	87771.5
हामिदारी				
(1) इक्विटी/अधिमान	52.3	305.4	174.4	54660.8
(2) डिबेंचर	50.0	292.8		155025.8
तात्कालिक/अल्पकालिक ऋण	1170.0	915.0	1002.5	*
कुल योग	**45884.4**	**39905.8**	**68449.0**	**623900.1**

* विशेष जमा में सम्मिलित

स्रोत : भारत में डेवलपमेंट बैंकिंग संबंधी आई डी बी आई प्रतिवेदन 2000-01।

27.4.3 साधारण बीमा निगम

वर्ष 1973 में साधारण बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् साधारण बीमा निगम का गठन इसके चार तत्कालीन सहायक कंपनियों के साथ किया गया था। जी आई सी की चार तत्कालीन सहायक कंपनियाँ निम्नलिखित है :

क) दि न्यू इंडिया ऐश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड

ख) युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड

ग) दि ओरिएण्टल इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड

घ) नेशनल इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड

उपर्युक्त सभी कंपनियाँ समाज के विभिन्न वर्गों की विविध और उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरी

करने के लिए अनेक बीमा योजनाएँ चला रही हैं। चार सहायक कंपानया का स्थापना का यह उद्देश्य था कि उनके बीच परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, सेवाओं में सुधार हो और एक निगम की शिथिलता को कम किया जाए। उपलब्ध उत्पाद सदृश थे और मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से आम टैरिफ व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होता था। प्रचालन का भौगोलिक क्षेत्र भी समान है।

नवम्बर, 2000 के माह में जी आई सी ने स्वयं को धारक कंपनी की स्थिति से अलग कर लिया और अब तत्कालीन सहायक कंपनियों ने स्वतंत्र कंपनियों के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है तथा जी आई सी पुन: बीमाकर्त्ता (Reinsurer) बन गया है।

जी आई सी भी विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं के साथ सावधि ऋणों, अल्पकालिक ऋणों और नई तथा विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अभिदान करके औद्योगिक परियोजनाओं के वित्त पोषण में बड़े पैमाने पर भाग ले रही है। नीचे दी गई तालिका 27.7 में 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 वर्षों के लिए घटकवार जी आई सी द्वारा वित्त पोषण के स्वरूप को दर्शाया गया है।

तालिका 27.7 : कारपोरेट क्षेत्र को स्वीकृत घटकवार सहायता

(मिलियन रु. में)

सहायता का प्रकार	1997-98	1998-99	1999-2000
सावधिक ऋण	8671.9	7964.3	14107.3
निश्चित अभिदान, निश्चित आवंटन और अधिकार निर्गम			
(1) इक्विटी/अधिमान	1406.0	1892.3	3382.0
(2) डिबेंचर	1650.0	3290.3	3927.4
योग	**11727.9**	**13146.9**	**2146.7**

स्रोत : भारत में डेवलपमेंट बैंकिंग 2000-01 संबंधी आई डी बी आई प्रतिवेदन।

उपर्युक्त तालिका 27.7 को देखने से स्पष्ट होता है कि जी आई सी अपनी सहायता में से आधा से अधिक सावधि ऋण में निवेश करती है। इसका कारण यह है कि सावधि ऋण कम जोखिम पूर्ण होता है और प्रतिलाभ अधिक निश्चित होता है।

27.4.4 अन्य वित्तीय संस्थाएँ

उपरोक्त सभी वित्तीय संस्थाओं के अलावा कुछ और संस्थाएँ हैं जो परियोजना वित्त उपलब्ध कराती है तथा देश की औद्योगिक विकास में भाग लेती हैं। इनमें से कुछ हैं :

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सरकारी बैंक

- विभिन्न विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवर्धित उद्यम पूँजी निधियाँ जैसे आई एफ सी आई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड।
- क्षेत्र विनिर्दिष्ट निगम जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आई एफ सी आई द्वारा प्रवर्तित भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड आवास क्षेत्र के लिए एच डी एफ सी।
- खादी और ग्रामोद्योग निगम
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
- प्रदेश विनिर्दिष्ट निगम, जैसे पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड
- आधारभूत संरचना विकास के लिए आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड
- विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड।

ये सभी संस्थाएँ अपने-अपने उद्देश्यों के अनुरूप लघु, मध्यम और बृहत् उद्योगों में परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

बोध प्रश्न 2

1) वाणिज्यिक बैंक और यूनिवर्सल बैंक मे अंतर बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) औद्योगिक विकास के लिए परियोजना वित्त उपलब्ध कराने वाली किन्हीं दो 'अन्य वित्तीय संस्थाओं' का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

27.5 सारांश

यह इकाई आय को विभिन्न विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे एल आई सी, यू टी आई, जी आई सी से परिचित कराती है। इस इकाई में इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्कीमों और उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर चर्चा की गई है।

27.6 शब्दावली

पूँजी संरचना : पूँजी संरचना निधियों के विभिन्न श्रोतों का मिश्र निरूपित करता है। इसमें दीर्घकालिक ऋण का अनुपात, इक्विटी पूँजी का अनुपात और अल्पकालिक उत्तारदायित्व का अनुपात-सम्मिलित है। संक्षेप में, पूँजी संरचना का अभिप्राय तुलन पत्र का संपूर्ण श्रोत भाग है।

विकासात्मक वित्तपोषण : मुख्य रूप से विकासात्मक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक आधार पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त।

27.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

भोले एल. एम., (1992). *फाइनेन्शियल इन्स्टीच्युशन एण्ड मार्केट्स,* टाटा मैक ग्रा हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।

आई डी बी आई, (2002). *रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट बैंकिंग इन इण्डिया: 2000-01,* इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई।

माचिराजू, एच. आर., (2002). *इण्डियन फाइनेन्शियल सिस्टम,* विकास पब्लिशिंग हाऊस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।

आर बी आई, (2002). *रिपोर्ट ऑन ट्रेण्ड एण्ड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इण्डिया: 2000-01,* रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई।

27.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) क)

2) क)

बोध प्रश्न 2

1) भाग 27.3 देखिए।